

न्यायालय सहायक कलक्टर मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
पीठारसीन अधिकारी :- अनूप सिंह (R.A.S.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	प्राथमिक पर्चा डिक्री दिनांक
427 / 2020	28.10.2020	29.10.2020

उनवान

1. तारु
2. दिल्लू पुत्रान श्री जम्मूसाम जातियान राजपूत निवासी सुहेटा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: वादीगण

बनाम

1. सूबे खों
2. मिड्डा
3. आसीना पुत्रान श्री हबूट
4. अल्ली
5. कासाम पुत्रान श्री हबूट
6. मजीदन पत्नी श्री मिश्रू जातियान मेव निवासीयान सुहेटा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. सद्दाम पुत्र श्री मिश्रू नाबालिग जरिये सरप्रस्त माता स्वयं मजीदन पत्नी श्री मिश्रू जाति मेव निवासी सुहेटा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. शरीफ
9. आलम पुत्रान श्री डोन्डी जातियान मेव निवासीयान सुहेटा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

दावा 188 राज0 कास्ट0 अधि0

—: पर्चा डिक्री :-

वादी की ओर से श्री रणवीर यादव एडवोकेट की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 29.10.2020 को श्री अनूप सिंह, सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और पर्चा डिक्री दी जाती है:-

“ उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के वाद को स्वीकार पाये जाने की स्थिति में विवादित आराजी खसरा नम्बर 910/0.23, 1123/908 रकबा 0.33 हैव0 वाके ग्राम सुहेटा तहसील मुण्डावर के बाबत प्रतिवादीगण को हुकम ईकतनाई दवागी से सदैव-सदैव के लिए पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण को विवादित आराजीयात के काश्त कार्य में किसी भी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे ना ही फसल बोने काटने में दखलनदाजी पैदा ना करे। पाबन्द रहे। वाद शीषर्क उक्त निर्णय एवं पर्चा डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.10.2020 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अनूप सिंह) 10/20
सहायक कलक्टर
मुण्डावर जिला अलवर राज0

